357

[2023] 7 एस. सी. आर 357

ए.

लोक प्रहरी

वी.

भारत और ओआरएस का संघ

(2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1141) 27 मार्च, 2023

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

चुनाव संचालन नियम, 1961-नियम 39-एए-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस. एस.59, 94 और 128 (1), 2003 के अधिनियम द्वारा संशोधित-आर को चुनौती।39-एए-याचिकाकर्ता ने नियम 39-एए की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 80 (4), Art.14 का उल्लंघन करता है और एस के विपरीत भी है।123 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-आयोजित:कुलदिप नायर बनाम भारत संघ के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन के बाद, राज्य परिषद को मतदान करने में एक भौतिक बदलाव आया है और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान के मानदंड को खुले मतपत्र से बदल दिया गया है-संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे चुनाव में केवल एक मतदाता है जो अपने राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, जो मतदान का अधिकार खो देता है-अदालत ने तब कहा कि खुली मतपत्र प्रणाली जो स्थिति में रखी गई है, "सभी के लिए खुली नहीं है" और यह केवल राजनीतिक दल का अधिकृत एजेंट है जिसे उस व्यक्ति को देखने और सत्यापित करने की अनुमति है जिसके लिए निर्वाचक ने वोट डाला है-अदालत ने कहा कि मानदंड में परिवर्तन का अंतर्निहित आधार, एक के लिए है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एस.33 – चुनौती-आयोजित:परंतुक में कहा गया है कि एक उम्मीदवार जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, उसे चुनाव के लिए विधिवत नामित नहीं माना जाएगा, जब तक कि नामांकन पत्र को दस प्रस्तावकों द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती है जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं-यह विशुद्ध रूप से विधायी नीति के दायरे में आता है-प्रावधान में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं है-संसद नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तरीके और वैध नामांकन की आवश्यकताओं को विनियमित करने की हकदार है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

357 ए.

358 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 7 एस. सी. आर.

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाःनिर्वाचन आचरण नियम **1961** का नियम **39-**एए **1.**राज्य परिषद के चुनावों में खुले मतपत्र द्वारा मतदान के प्रावधान को लागू करने के औचित्य की जांच कुलदिप नायर बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के एक फैसले में की गई है।संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन के बाद, राज्य परिषद के लिए मतदान में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान के मानदंड को खुले मतपत्र से बदल दिया गया है।संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे चुनाव में केवल एक मतदाता होता है जो अपने राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, जो मतदान का अधिकार खो देता है।अदालत ने तब कहा कि खुली मतपत्र प्रणाली जिसे लागू किया गया है, "इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी के लिए खुली है" और यह केवल राजनीतिक दल का अधिकृत प्रतिनिधि है जिसे उस व्यक्ति को देखने और सत्यापित करने की अनुमति है जिसके लिए निर्वाचक ने मतदान किया है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्रॉस वोटिंग और पार्टी अनुशासन के उल्लंघन को रोकने के लिए एक खुले मतपत्र के लिए मानदंड में परिवर्तन का अंतर्निहित आधार आवश्यक था।**[**पारस **11,12] [362-**ई**-**जी**; 363-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

2. संविधान पीठ ने कहा कि आम चुनाव में चुनाव प्रणाली की शुद्धता बनाए रखने के लिए मतदान की गोपनीयता की आवश्यकता होती है।एक मतदाता को यह बताए बिना कि उसने कैसे मतदान किया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है।हालांकि, आम चुनाव में "निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व" की अवधारणा "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" से अलग है।"आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के मामले में, मतदाता पार्टी अनुशासन के अधीन हैं, संविधान पीठ ने कहा कि यह राज्यों की परिषद के

चुनाव आयोजित करने के लिए एक खुले मतपत्र की कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए वैध रूप से खुला है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन मतदान के अधिकार को नहीं छीनता है**,** बल्कि केवल अधिकार को विनियमित करता है ताकि एक निर्वाचक द्वारा क्रॉस**-**वोटिंग की बुराई को समाप्त किया जा सके जो एक पार्टी नामांकन के आधार पर किसी विशेष राज्य की विधानसभा के लिए चुना गया है।**[**पैरा **13] [363-**ई**-**जी**] 1951** के अधिनियम की धारा **33** का प्रावधान

ई.

एफ.

जी.

3. परंतुक में कहा गया है कि एक उम्मीदवार जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया है**,** उसे विधिवत ए नहीं माना जाएगा।

एच.

359

लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और ओआरएस ए

चुनाव के लिए नामित किया जाता है जब तक कि नामांकन पत्र को दस प्रस्तावकों द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती है जो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं।यह विशुद्ध रूप से विधायी नीति के दायरे में है।इस प्रावधान में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं है।संसद को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तरीके और वैध नामांकन की आवश्यकताओं को विनियमित करने का अधिकार है। **[**पारस **18** और **19] [365-**डी**-**ई**]**

बी.

कुलदिप नायर बनाम भारत संघ **[2006] 5** पूरक।एससीआर **1**

– पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

सी.

[2006] 5 पूरक।एससीआर **1**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1141।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) एस. एन. शुक्ला, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता

डी.

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, ए. ए. जी., रजत नायर, शैलेश मडियाल, सुश्री श्रद्धा देशमुख, सुश्री रुचि गौर नरूला, अरविंद कुमार शर्मा, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री साक्षी उपाध्याय, सुश्री अपर्णा सिंह, आदर्श उपाध्याय, आशीष मदान, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, अमन पाठक, सुश्री पल्लवी कुमारी, सुश्री अनन्या साहू, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लोक प्रहरी द्वारा लागू किया गया है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।इन कार्यवाही में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री एस. एन. शुक्ला ने किया है, जो महासचिव हैं।दो विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:

एफ.

(i) चुनाव संचालन नियम 1961 का नियम 39-एए 1; और (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 का प्रावधान 2।

जी.

1 “1961 नियम "2" 1951 अधिनियम

एच.

2. संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है।अनुच्छेद 80 (1) (बी) में परिकल्पना की गई है कि राज्य परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दो सौ अड़तीस से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे।राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची 3 में निहित प्रावधानों के अनुसार है।अनुच्छेद 80 के खंड (4) में कहा गया है कि राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य के

प्रतिनिधियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा।जहां तक विधान परिषदों का संबंध है, अनुच्छेद 171 (3) (डी) में कहा गया है कि एक तिहाई सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

बी.

सी.

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, 1951 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद पचास वर्षों तक, राज्य परिषद और विधान परिषद दोनों के लिए चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किए गए थे।हालाँकि, 2003 के अधिनियम 40 द्वारा, 1951 के अधिनियम की धारा 59,94 और 128 (1) में संशोधन किया गया था ताकि राज्यसभा के चुनावों के लिए एक खुली मतपत्र प्रणाली का प्रावधान किया जा सके।धारा 59 के प्रावधान में कहा गया है कि राज्य परिषद में एक सीट या सीटों को भरने के लिए प्रत्येक चुनाव में वोट खुले मतदान द्वारा दिए जाएंगे। धारा 94, जो मतदान की गोपनीयता की रक्षा करती है, में इस आशय का प्रावधान है कि यह धारा उस स्थिति पर लागू नहीं होगी जहां मतदान खुले मतपत्र से होता है।धारा 128 (1) के परंतुक में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है।

डी.

ई.

4. 1961 के नियमों के नियम 39-एए को 27 फरवरी 2004 की एक अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था। नियम 39-ए. ए. इस प्रकार हैः

एफ.

“39 एए। वोट डालने के बारे में जानकारी।-(1) नियम 39 ए में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पीठासीन अधिकारी, उस अवधि के बीच जब कोई निर्वाचक किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते मतपत्र पर अपना वोट दर्ज करता है और ऐसे निर्वाचक द्वारा उस मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले, उस राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को यह सत्यापित करने की अनुमति देगा कि ऐसे निर्वाचक ने किसे अपना वोट डाला हैःबशर्ते कि यदि ऐसा निर्वाचक अधिकृत को अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है

जी.

3 अनुच्छेद 80 ए का खंड (2)

एच.

उसके राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, उसे जारी किया गया मतपत्र पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर वापस ले लिया जाएगा और इस तरह से वापस लिए गए मतपत्र को नियम 39 ए के उप-नियम (6) से (8) में निर्दिष्ट तरीके से आगे निपटाया जाएगा जैसे कि ऐसा मतपत्र उस नियम के उप-नियम (5) के तहत वापस ले लिया गया था।

बी.

(2) प्रत्येक राजनीतिक दल, जिसका सदस्य निर्वाचक के रूप में मतदान केंद्र पर मतदान करता है, उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए फॉर्म 22 ए में दो अधिकृत एजेंटों की नियुक्ति करेगा।(3) उप-नियम (2) के तहत नियुक्त एक अधिकृत एजेंट मतदान केंद्र पर मतदान के पूरे घंटों के दौरान मौजूद रहेगा और दूसरा उसे मतदान केंद्र से बाहर जाने पर या मतदान केंद्र से बाहर जाने पर मुक्त करेगा।"

सी.

5. याचिकाकर्ता ने नियम 39-एए की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की है कि यह (i) संविधान के अनुच्छेद 80 (4) के अधिकार से बाहर है; (ii) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है; और (iii) 1951 अधिनियम की धारा 123 (2) के प्रावधानों के विपरीत है।

डी.

6. हमने याचिकाकर्ता श्री एस. एन. शुक्ला, जो व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, भारत संघ के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज और भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अमित शर्मा को सुना है।

ई.

7. यद्यपि याचिका में नियम 39-ए. ए. की संपूर्णता को चुनौती देने की मांग की गई है, श्री एस. एन. शुक्ला प्रस्तुत करते हैं कि नियम को उचित तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।

एफ.

8. प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, नियम 39-एए के मुख्य प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक होगा। नियम 39-ए. ए. में कहा गया है कि जब कोई मतदाता जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, मतपत्र पर अपना वोट दर्ज करता है, तो उन्हें उस दल के अधिकृत प्रतिनिधि को यह सत्यापित करने की अनुमति देनी चाहिए कि मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले ऐसे मतदाता ने किसे अपना वोट दिया है।यदि मतदाता अपने राजनीतिक दल

के अधिकृत अभिकर्ता को चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो मतपत्र को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी द्वारा वापस लिया जाना चाहिए और नियम 39 ए के उप-नियम (6) से (8) में निर्धारित तरीके से निपटा जाना चाहिए, जैसे कि मतपत्र को उप-नियम (5) के तहत वापस ले लिया गया हो।

जी.

एच.

9. नियम 39 ए के उप-नियम (6) से (8) निम्नलिखित शब्दों में हैं:“(6) मतपत्र को वापस लेने के बाद पीठासीन अधिकारी इसकी पीठ पर "रद्द" शब्द दर्ज करेगा:मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर किए।

बी.

(7) वे सभी मतपत्र जिन पर "रद्द" शब्द लिखे हैं:मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन दर्ज किया जाता है, इसे एक अलग आवरण में रखा जाएगा, जिसके चेहरे पर "मतपत्र:मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।

(8) किसी अन्य दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए कोई निर्वाचक, जिससे उप-नियम (5) के तहत मतपत्र वापस ले लिया गया है, उत्तरदायी हो सकता है, ऐसे मतपत्र पर दर्ज वोट, यदि कोई हो, की गणना नहीं की जाएगी।”

सी.

नियम 39 ए के उप-नियम (6) से (8) में कहा गया है कि मतपत्र को वापस लेने के बाद पीठासीन अधिकारी इस बात का समर्थन दर्ज करेगा कि इसे रद्द कर दिया गया है।

डी.

10. जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, वह यह है कि उपरोक्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, निर्वाचक संविधान के अनुच्छेद 80 (4) के तहत मतदान का अधिकार खो देगा।

ई.

11. राज्य परिषद के चुनावों में खुले मतपत्र द्वारा मतदान के प्रावधान को लागू करने के औचित्य की जांच कुलदिप नायर बनाम भारत संघ 4 के मामले में संविधान पीठ के एक फैसले में की गई है।संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन के बाद, राज्य परिषद के लिए मतदान में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान के मानदंड को खुले मतपत्र से बदल दिया गया है।संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे चुनाव में केवल एक मतदाता होता है जो अपने राजनीतिक दल के अधिकृत एजेंट को मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, जो मतदान का अधिकार खो देता है।न्यायालय ने टिप्पणी कीः

एफ.

“439. इस प्रकार, संशोधित नियमों का प्रभाव यह है कि राज्य परिषद के चुनावों में, निर्वाचक द्वारा मतपेटिका में मतपत्र डालने से पहले, राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को यह सत्यापित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऐसा निर्वाचक किसे अपना वोट देता है। यदि ऐसा मतदाता अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इनकार करता है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा और

जी.

4 (2006) 7 एससीसी 1 ए

एच.

363

लोक प्रहरी बनाम भारत और हमारा संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आधार पर रद्द किया जाए कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था।इसलिए, मतदाता पर अपना वोट दिखाने की मजबूरी है।”

12. अदालत ने तब कहा कि खुली मतपत्र प्रणाली, जिसे लागू किया गया है, "इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी के लिए खुली है" और यह केवल राजनीतिक दल का अधिकृत प्रतिनिधि है जिसे उस व्यक्ति को देखने और सत्यापित करने की अनुमति है जिसके लिए निर्वाचक ने मतदान किया है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्रॉस-वोटिंग और पार्टी अनुशासन के उल्लंघन को रोकने के लिए एक खुले मतपत्र के लिए मानदंड में परिवर्तन का अंतर्निहित आधार आवश्यक था।न्यायालय ने कहाः

बी.

सी.

“451. यह नहीं भुलाया जा सकता है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है और यह संसद के लिए चिंता का विषय हो सकता है

यदि यह पाया जाए कि मतदाता विवेकपूर्ण मतदान की आड़ में क्रॉस-वोटिंग का सहारा ले रहे थे, मतदान की गोपनीयता के नाम पर पार्टी अनुशासन का उल्लंघन कर रहे थे।यह गलती करने वाले विधायकों पर पार्टी के अनुशासन को कमजोर करेगा।राजनीतिक दल हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हैं और अप्रत्यक्ष चुनावों के मामले में पार्टी अनुशासन की सुरक्षा को चुनावों की शुद्धता की एक आवश्यक विशेषता के रूप में पेश किया जा सकता है।"

डी.

ई.

13. संविधान पीठ ने कहा कि आम चुनाव में चुनाव प्रणाली की शुद्धता बनाए रखने के लिए मतदान की गोपनीयता की आवश्यकता होती है।एक मतदाता को यह बताए बिना कि उसने कैसे मतदान किया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है।हालांकि, आम चुनाव में "निर्वाचन क्षेत्र आधारित प्रतिनिधित्व" की अवधारणा "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" से अलग है।"आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के मामले में, मतदाता पार्टी अनुशासन के अधीन हैं, संविधान पीठ ने कहा कि यह राज्यों की परिषद के चुनाव आयोजित करने के लिए एक खुले मतपत्र की कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए वैध रूप से खुला है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन मतदान के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि केवल अधिकार को विनियमित करता है ताकि एक निर्वाचक द्वारा क्रॉस-वोटिंग की बुराई को समाप्त किया जा सके जो एक पार्टी नामांकन के आधार पर किसी विशेष राज्य की विधानसभा के लिए चुना गया है।न्यायालय ने कहाः

एफ.

जी.

"461. संशोधन द्वारा मतदान का अधिकार नहीं खोया जाता है।संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य चुनाव में मतदान करने का पूरी तरह से हकदार है -

एच.

राज्यों की परिषद।विवादित संशोधन के कारण जो एकमात्र बदलाव आया है, वह यह है कि उन्हें अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को वोट डालने के तरीके का खुलासा करना होगा।संसद इसे भ्रष्टाचार को रोकने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के लिए केवल एक नियामक विधि के रूप में उचित

ठहराएगी।इस न्यायालय ने माना है कि मतपत्र की गोपनीयता और चुनावों की शुद्धता सामान्य रूप से सह-अस्तित्व में होनी चाहिए।लेकिन राज्य परिषद के मामले में, संसद ने अपने विवेक से यह उचित माना है कि चुनाव की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष चुनाव में मतपत्र की गोपनीयता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

बी.

सी.

14. याचिका में चुनौती, जैसा कि तैयार किया गया है, नियम 39-एए की वैधता के लिए है। संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए चुनौती विफल होनी चाहिए।हालांकि, श्री एस. एन. शुक्ला के माध्यम से पेश याचिकाकर्ता ने कहा कि नियम को पढ़ा जाना चाहिए।जिस तरह से वह प्रस्ताव करते हैं कि नियम की फिर से व्याख्या की जानी चाहिए, वह यह है कि यदि मतदाता राजनीतिक दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता है, तो पीठासीन अधिकारी को राजनीतिक दल के एजेंट को मतपत्र का खुलासा करना चाहिए।उस स्थिति में, यह आग्रह किया गया था कि मतदान के अधिकार का कोई नुकसान नहीं होगा।

डी.

15. इस तथ्य के अलावा कि यह याचिका का कैनवास नहीं है, जैसा कि मसौदा तैयार किया गया है, गुण-दोष पर भी, हमें याचिका में कोई सार नहीं मिलता है।16. यह तथ्य कि एक वैकल्पिक साधन एक ही उद्देश्य को पूरा कर सकता है, नियम को असंवैधानिक नहीं बनाएगा। जैसा कि संविधान पीठ ने कहा, नियम मतदान के अधिकार के प्रयोग को रोकता या रोकता नहीं है, बल्कि केवल इसे नियंत्रित करता है।मतपत्र को रद्द करना ऐसी स्थिति में होता है जब मतदाता अपने राजनीतिक दल के एजेंट को इसका खुलासा करने से इनकार कर देता है। निर्वाचक ने अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को वोट का खुलासा नहीं करने का इरादा व्यक्त किया है, फिर भी पीठासीन अधिकारी पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को वोट का खुलासा करने का बोझ डाल कर वोट को बनाए रखना दूर की बात होगी।जैसा कि संविधान पीठ ने यह भी कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उल्लंघन नहीं करता है। यह प्रावधान विशेष रूप से राज्यों की परिषद के चुनावों में क्रॉस-वोटिंग को रोकने के लिए जोड़ा गया था।इस पृष्ठभूमि में, चुनौती में कोई योग्यता नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

17. दूसरी चुनौती जिसे याचिका में संबोधित किया गया है, वह 1951 के अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के लिए है। धारा 33 की उप-धारा (1) अपने मूल भाग और पहले परंतुक में नीचे दी गई हैः

एच.

365

लोक प्रहरी बनाम भारत और हमारा संघ [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

ए.

“33. नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएँ।—

(1) धारा 30 के खंड (क) के तहत निर्धारित तिथि को या उससे पहले प्रत्येक उम्मीदवार, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक द्वारा, पूर्वाह्न के ग्यारह बजे से दोपहर के तीन बजे के बीच, धारा 31 के तहत जारी की गई सूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया और उम्मीदवार और प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित एक नामांकन पत्र वितरित करेगाः

बी.

बशर्ते कि एक उम्मीदवार जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, उसे किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए विधिवत नामित नहीं माना जाएगा, जब तक कि नामांकन पत्र को निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक दस प्रस्तावकों द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती है।”

सी.

18. परंतुक में कहा गया है कि एक उम्मीदवार जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, उसे चुनाव के लिए विधिवत नामित नहीं माना जाएगा, जब तक कि नामांकन पत्र को निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रस्तावकों द्वारा सदस्यता नहीं दी जाती है।

डी.

19. यह विशुद्ध रूप से विधायी नीति के दायरे में है।इस प्रावधान में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं है।संसद को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तरीके और वैध नामांकन की आवश्यकताओं को विनियमित करने का अधिकार है।

ई.

20. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।तदनुसार याचिका खारिज हो जाएगी।

एफ.

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

लिखित याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

जी.

एच.